

रखें। अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तिथि तक जारी की जाती है। यदि इस आदेश के जारी होने में आपत्ति हो तो नियत तिथि पर उपस्थित होकर उज्र पेश करें। हुक्मनामा जारी हो पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 25.4.2018 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
पिपलू जिला टोक

156/18

पत्रावली लोक अडालत के मध्य व्यापक  
वर्षने के कारण पेश हुई शुल कासवा बितरण  
होके से प्रा.पत्रावली किया जाता है  
पत्रावली किर्ति शुभा होकर इफ्त  
द्वारिक हो